रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2015/श्रावण 16, 1937
No. 497] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2015/SHRAVANA 16, 1937

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 620(अ).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार विभाग के आशुलिपिक (ग्रेड-I, II और III) भर्ती नियम, 1994, जहां वे यह आशुलिपिक ग्रेड II और III के पदों से संबंधित है, के अधिक्रमण में, इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों अथवा करने के लिए लोप किए कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा दूरसंचार विभाग में आशुलिपिक ग्रेड-II के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :**

(1) इन नियमों को संचार लेखा नियंत्रक (प्रधान संचार लेखा नियंत्रक/संचार लेखा नियंत्रक/संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक (अंडमान और निकोबार)/राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान के कार्यालयों में दूरसंचार विभाग, आशुलिपक ग्रेड-II पद भर्ती नियम, 2015 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान:** उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इससे संबद्ध वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार होगें।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :** इस पद की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा इससे संबद्ध अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार होगें।

4. **निरर्हता** : कोई ऐसा व्यक्ति :-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करना तय किया है जिसकी पत्नी या पति जीवित हैं; या

(ख) जिसने पत्नी या पति के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करना तय किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमत है और यह कि ऐसा विवाह करने के अन्य आधार हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति के संबंध में इस नियम को लागू करने से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : यदि केन्द्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना अनिवार्य है अथवा व्यावहारिक है, तो यह इसके कारणों को लिखित में दर्ज करके, आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा किसी वर्ग के संदर्भ में इन नियमों के किसी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।

6. अपवाद : इन नियमों की कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
आशुलिपिक ग्रेड-II	30* (2015) *कार्यभार की घट-बढ़ के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2400/- रुपए	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट: आयु सीमा के निर्धारित करने की निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा-विज्ञापित तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती की जाएगी या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं पास अथवा समकक्ष: (ii)कौशल परीक्षा के मानक: श्रुतलेख (डिक्टेशन): 80 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट प्रति लेखन (ट्रांसक्रिप्शन): अंग्रेजी में 50 मिनट, हिन्दी में 65 मिनट (कम्प्यूटर पर)	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। नोट: पदधारी के प्रतिनियुक्ति अथवा लम्बी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य परिस्थितियों के अंतर्गत एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि तक बाहर होने के परिणाम स्वरूप होने वाली रिक्तियों को केन्द्र सरकार के नियमित आधार पर और सीधी भर्ती के लिए कॉलम (7) में निर्धारित अर्हता प्राप्त सदृश पदों पर तैनात

		अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में, वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाएगा।
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के लिए) : (1) संचार लेखा नियंत्रक/ महानिदेशक (राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान) –अध्यक्ष (2) प्रशासन प्रभारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर के अधिकारी – सदस्य (3) उप संचार लेखा नियंत्रक/उप निदेशक –सदस्य	लागू नहीं

[फा. सं. 33-02/2015-एसईए-III]

सौरभ के. तिवारी, उप महानिदेशक (ईएण्डएफ)

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunication)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2015

G.S.R. 620(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Telecommunications Stenographers (Grade-I, II and III) Recruitment Rules, 1994, in so far as it relates to the posts of Stenographer Grade II and III except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Stenographer grade-II, in the Department of Telecommunications, namely :-

1. **Short title and Commencement**. -

(1) These rules may be called the Department of Telecommunications in the offices of Controller of Communication Accounts (Pr. CCA/CCA/Joint CCA (Andaman and Nicobar)/National Institute of Communication Finance) Stenographer Grade-II post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**—The number of post, its classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**–The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person ,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex- Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regards.

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
Stenographer Grade-II	30* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-C, Non- Gazetted, Ministerial	Pay Band-I, Rs.5200-20200 Plus Grade Pay of Rs.2400/-	Not applicable	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation , if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(i) 12th pass or equivalent from a recognised Board or University, (ii) Skill Test Norms: Dictation:10 minutes @80 words per minutes Transcription : 50 minutes in English, 65 minutes in Hindi (On Computer)	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits in column (7).

(11)	(12)	(13)
In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Not applicable	Group- C Departmental Promotion Committee (for confirmation) : 1.Controller of Communication Accounts /Director General (National Institute of Communication Finance) -Chairman 2. Junior Administrative Grade -level officer in charge of Administration – Member 3.Deputy Controller of Communication Accounts / Deputy Director – Member	Not applicable

[F. No. 33-02/2015-SEA -III]

SAURABH K. TIWARI, DDG (E&F)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.